

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम-19-131/88/1/4.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :—कार्यालय में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धूम्रपान मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। यह न केवल धूम्रपान करने वाले मनुष्यों के लिए हानिकारक है, बल्कि धूम्रपान करने वाले मनुष्यों के आसपास बैठने अथवा रहने वाले सभी लोगों को भी समान हानिकारक है।

2. धूम्रपान के भयावह दुष्परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 1988 से प्रदेश के समस्त सार्वजनिक कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में धूम्रपान का पूर्णतः निषेध किया जाता है।

3. शासन के इन निर्देशों को समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी में लाया जावे तथा इनका पालन पूर्ण रूप से किया जावे।

(आर. सी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग।

प्र. क्र. एम.-19-131/88/1/4.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 1988.

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर,
सचिव, राजस्व मण्डल, म. प्र. खालियर,
राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन आयोग,
सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
2. महालेखाकार, म. प्र., खालियर,
सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार, म. प्र., भोपाल
समस्त ट्रेजरी आफिसर।
3. रीजनल मनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।
4. रीजनल मनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, भोपाल।
5. अवर सचिव (अधीक्षण) म. प्र. सचिवालय, भोपाल,
अवर सचिव (स्थापना) म. प्र. सचिवालय, भोपाल,
लेखा अधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल।
6. मुख्य मंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निजी सहायक
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, म. प्र. विधान सभा के निजी सहायक।